


दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी रहा
--------	---------------------------------	---

21/4/25 पत्रावली पेश हुई। वादी - जतिवादी आदि - उप-। पत्रावली  
वास्ते खासगदारी हेतु दिनांक 17/4/25 को पेश हो।

  
21/4/25


17/4/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आवेश  
दिनांक 28/4/25 को पेश हो।

  
आदेश से निज

28/4/25 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आदी - अनु-। वादी  
एवं वादी आदीवक्ता की निधमात्रुत्तर तीन बार आवाज  
लगावाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी  
आदीवक्ता की उपस्थित में पुनः एक बार आवाज  
लगावाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का  
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क एवं 188 शिवालयान  
काइलकी आधीनिधम को अदम (अन्वी) अदम पीकी  
में जाइव किना वाता है।

निधि एवं इवलाल पुनाजा  
जाना रिक्की पचि वासी हो। पत्रावली फौजल शुमार  
होकर दाखिल दफ्तर ही रूपा नम्बर में कम ली।

  
28/4/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. नन्दा पुत्र भूरा जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा  
वादी

बनाम

1. सरजू बेवा धुकल जी जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पुष्पा देवी पत्नी सुरेशचन्द्र त्रिवेदी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
4. उप—पंजीयक, भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 रा0 टि0 एक्ट

बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 587 / 2013 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 28.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
28/4/25  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा